

# न्यायालय उप जिलाधिकारी, भाटपाररानी जनपद देवरिया ।

वाद संख्या— ॥

/वर्ष— २०१३

रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय, धनोती—

वनाम— सरकार ।

मौजा— धनोती तप्पा हवेली परगना — स०म०

तहसील भाटपाररानी जनपद देवरिया ।

अंतर्गत धारा १४३ उ०प्र०ज०वि०अधि० ।

प्राप्तिनिर्णय नंदिष्ठ १०/६/०१३

प्रस्तुत वाद ज०वि०अधि० की धारा १४३ के अंतर्गत वादी रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय, धनोती तहसील भाटपाररानी जनपद देवरिया द्वारा प्रबन्धक आशुतोष कुमार उपाध्याय पुत्र रवर्गीय श्री कामेश्वर उपाध्याय निवासी जसुई तहसील भाटपाररानी जनपद देवरिया द्वारा योजित कर अभिकथन किया गया है कि आराजी नम्बर २१०/०-७४१ व २०९ मी०/०-२८५ व ३५८ मी० /०-१३९ ह०० कुल रकवा १-१६५ ह००आवादी के सकल में है तथा विवादित भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजन से भिन्न है। मौके पर रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय, धनोती का कब्जा भवन व कीड़ारथल के रूप में है। उक्त रकवा जोती—बोई नहीं जाती है। अंत में उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के कम में तहसीलदार, भाटपाररानी से आख्या प्राप्त की गयी, जो संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार, भाटपाररानी की आख्या दिनांक ०१-५-२०१३ में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर रामचन्द्र उपाध्याय गहाविद्यालय, धनोती का भवन व कीड़ारथल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अतः ज०वि०अधि० की धारा १४३ के अंतर्गत घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित है।

पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया गया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्षों का परिशीलन किया गया। तहसीलदार, भाटपाररानी की आख्या दिनांक ०१-५-२०१३ से रपष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्डों पर कृषि कार्य नहीं होता है। उक्त के अवलोकन से प्रश्नगत भूखण्डों को अकृषिक (कृषि, वागवानी या पशुपालन, जिसमें मत्त्य पालन, कुकुटपालन भी सम्मिलित है से असम्बद्ध।) घोषित करने में कोई विधिक बाधा नहीं प्रतीत होती है।

## आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम धनोती तप्पा हवेली परगना सलेमपुर मझौली तहसील भाटपाररानी जनपद देवरिया रिथित खतोनी वर्ष १४१९ लगायत १४२४ फ० के खाता रांख्या ३२७ आराजी नम्बर २१० रकवा ०-७४१ ह००, २०९ मी० रकवा ०-२८५ ह०० व ३५८ मी० रकवा ०-१३९ ह०० भूमि वर्तमान लगान को वर्तमान उपयोग के आधार पर उ०प्र०ज०वि० एवं भू-व्यवस्था अधिनियम की धारा १४३ के अंतर्गत आवासीय कृषि उद्यारीकरण एवं पशुपालन जिसमें मत्त्य पालन, कुकुट पालन भी सम्मिलित है से असाध्य प्रयोजनों हेतु प्रख्यापित किया जाता है। तदनुसार परवाना जारी हो। उ०प्र०ज०वि०एवं भू-व्य०अधि० की धारा १४३ के अंतर्गत परवाने की एक प्रति भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में अन्य व्यवस्था होने के बावजूद उसे विहित रीति रो बिना शुल्क रजिस्टर्ड करने हेतु उप निबन्धक, भाटपाररानी को भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक—

सायं प्रातः २०१३

२२/५/२०१३

पैरामुख

उप निबन्धक  
भाटपाररानी

५३६  
२२/७/०१३  
७००  
१५५  
२२/७/०१३  
१५५  
२२/७/०१३  
१५५  
२२/७/०१३



प्राप्तिनिर्णय  
द्वारा दायर  
२२/७/०१३